न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 53/2022 तारीख रजू:– 05.04.2022

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

रामखिलाडी पुत्र दीपराम जाति मीना निवासी गांवडी मीना तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली ———————————————————— सायल

बनाम

1. कन्हैया
2. जगदीश

पिसरान स्व0 विशम्भर जाति सुनार निवासी श्रीमहावीरजी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

3. तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
4. सब रजिस्ट्रार, श्रीमहावीरजी ———————————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायल

2. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट गैरसायल सं01,2

निर्णय

दिनांक :–26.07.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने इस अदालत में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा स्थायी निषेधाज्ञा मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 व 2 के बुजुर्ग विशम्भर पुत्र सुआलाल जाति सुनार की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.16 है0, 131 रकबा 0.23 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 है0 व खसरा नम्बर 144 रकबा 0.06 है0 स्थित ग्राम बनवारीपुर साबिक तहसील हिण्डौन रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 के बुजुर्ग विशम्भर पुत्र सुआलाल सुनार ने आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र को रूपयों की आवश्यकता हेतु सायल को दिनांक 04.02.2006 को बिल एवज 3 लाख 61 हजार रूपया में विक्रय कर दिया और उक्त विक्रय पेटे 3 लाख रूपये नकद प्राप्त कर विकीत भूमि पर सायल का कब्जा करा दिया तथा विक्रय प्रतिफल पेटे रही राशि 61 हजार रूपये को उक्त विकीत भूमि की रजिस्ट्री कराते समय लेने का इकरार कर उक्त इकरारनामा विक्रय की लिखावट सायल की बही में कर बकलम राधेश्याम से कराकर उस पर गवाही गवाहान उदयसिंह व देवेश की कराकर गैरसायल नं01 व 2 के पिता ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा तथा उक्त इकरारनामा विक्रय में यह इकरार भी दर्ज करा दिया कि सायल जब भी कहेगा उसके हक में विक्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री उसके खर्चे पर करा दूंगा तथा असल बही में सायल के हवाले कर दी। इस प्रकार सायल उक्त दिनांक से अपनी खरीदशुदा भूमि मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा सायल के पुत्र शिव आईटीआई कॉलेज बनवारीपुर में खोल रखा है, जिसमें वह उक्त कॉलेज की सोसायटी का उपाध्यक्ष है तथा उक्त भूमि में शिव आईटीआई कॉलेज का प्ले ग्राउण्ड बना हुआ है, इस प्रकार उक्त भूमि पर सायल व उसके पुत्र का कब्जा चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सायल ने कई बार गैरसायल सं01 व 2 के पिता से उक्त विक्रय की गई भूमि की शेष राशि सायल से प्राप्त कर उसका वयनामा सायल के हक में सायल के खर्चे पर तहरीर व तकमील कराकर पंजीकृत कराने के लिए कई बार कहा तो वह टालमटोल करता और कहता कि जमीन पर तुम्हें कब्जा करा दिया है, शेष राशि लेकर रजिस्ट्री भी करा दूंगा, ऐसी क्या जल्दी है। सायल, गैरसायल नं01 व 2 के पिता के सद्भाविक विश्वास से आश्वस्त रहा तथा भूमि पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता रहा।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 के पिता का वर्ष 2009 में स्वर्गवास हो गया तथा आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की विरासत का नामान्तकरण गैरसायल सं01 व 2 तथा उसके भाइ रामबाबू तथा बहिन सुशीला, विद्या व लीला तथा इनकी माँ रामपति बेवा विशम्भर के हक में दिनांक 06.12.2009 को नामान्तकरण नम्बर 399 खुलकर तस्दीक हो गया। तत्पश्चात सुशीला, विद्या व लीला के द्वारा उक्त भूमि में अपने हिस्से का इकरार गैरसायल सं01 व 2 के हक में कर दिया, जिसका नामान्तकरण सं0 493 दिनांक 05.03.2013 को तस्दीक होकर उनके हिस्से की खातेदारी गैरसायल सं01 व 2 के हक में आ गयी तथा रामबाबू के द्वारा अपने हिस्से का बेचान गैरसायल सं01 व 2 को कर दिया। जिसका नामान्तकरण सं0 497 दिनांक 05.03.2013 को गैरसायल सं01 व 2 के हक में खुलकर तस्दीक हो गया। इस प्रकार उक्त आराजीयात से गैरसायल सं01 व 2 की तीनों की बहिनों व भाई रामबाबू का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा, लेकिन उक्त भूमि आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र गैरसायल सं01 व 2 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में सायल को विक्रय कर कब्जा करा देने से कानूनन उक्त समस्त अन्तरण जो कि विशम्भर के वारिसान के द्वारा आपस में एक दूसरे को किये गये हैं वह बमुकाबले सायल खिलाफ.कानून होने से नल एण्ड बोईड है। जिससे कानूनन सायल के हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भूमि का एक बार अन्तरण होने के बाद दूसरा अन्तरण स्वतः ही विधि विरूद्ध होने से नल एण्ड बोईड है, जिससे गैरसायल सं01 व 2 को या अन्य किसी व्यक्ति को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायल सं01 व 2 कई बार उनके पिता द्वारा सायल को पूर्व में विक्रय की गई आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की भूमि का बयनामा शेष राशि लेकर सायल के हक में सायल के खर्चे पर पंजीकृत कराने के लिए कई बार कहा तो वे टालमटोल करते रहे तथा उनके मन में सायल को उनके पिता द्वारा पूर्व में विक्रीत की गई भूमि को हडपने का लालच आने तथा भूमि की कीमतें बढ जाने के कारण उनके मन में बेईमानी आ जाने से गैरसायल सं01 व 2 उक्त भूमि पर

जबरन कब्जा करने का प्रयासरत हैं और इसके लिए वह आए दिन सायल को हैरान व परेशान करते रहते हैं जिसके लिए गैरसायल नं01 व 2 को रोका जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसगंत है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 व 2 द्वारा उक्त विकीत भूमि की खातेदारी अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को सायल से जबरन छीनने पर आमादा है और इसके लिए उन्होंने दिनांक 26.10.2021 को उक्त भूमि पर आकर सायल को धमकी दी कि जमीन को खाली कर देना, इस जमीन पर हम कब्जा करके रहेंगे, जमीन की खातेदारी हमारे नाम है, यह जमीन हमारी है, अगर तुमने ज्यादा कुछ कहा या किया तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर भूमि को पुलिस की मदद से ले लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड पाओगे, इस पर सायल के द्वारा उक्त भूमि को पूर्व में ही उनके पिता से खरीद कर कब्जा प्राप्त करने के लिए कहा और उक्त भूमि के विकय पेटे सायल ने शेष राशि लेकर सायल के हक में उक्त भूमि का वयनामा पंजीबद्ध कराने के लिए कहा तो गैरसायल सं01 व 2 तैयार नहीं हुए। अगर गैरसायल नं01 व 2 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति दृव्य में सम्भव नहीं हो सकेगी तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा पाबन्द इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.16 है0, 131 रकबा 0.23 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 है0 व खसरा नम्बर 144 रकबा 0.06 है0 स्थित ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी से सायल के कब्जे से उसे जबरन बेदखल नहीं करें तथा भूमि को दीगर लठैत लोगों को विकय कर उसका बयनामा गैरसायल नं04 के कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायल को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग

में कोई व्यवधान किसी प्रकार का पैदा हो, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं0 1 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में निराधार तथ्यों पर सायल द्वारा दावा पेश करना स्वीकार है, सायल को उक्त दावे में सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज तथ्य स्वीकार हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 गलत है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं01 व 2 के पिता विशम्भर पुत्र सुआलाल जाति सुनार(स्वर्णकार) निवासी श्रीमहावीरजी का दिनांक 13.07.2005 को ही स्वर्गवास हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र कमांक 15 दिनांक 20.07.2005 को रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु पंजीयन) ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी कोर्ड नं0 080902099902485 द्वारा जारी कर गैरसायल सं02 को सुपुर्द किया है, इसलिए जब गैरसायल सं01 व 2 के पिता दिनांक 13.07.2005 को स्वर्ग सिधार गए तो उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी को दिनांक 04.02.2006 के दिन किसी उदयसिंह व देवेश नाम के व्यक्ति के सामने सायल को विकय कर राधेश्याम नाम के व्यक्ति से सायल के पक्ष में उसकी बही में लिखापढी करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, दिनांक 04.02.2006 की लिखावट सायल एवं उसके दोनों पुत्र मुकेश राकेश उदयसिंह देवेश राधेश्याम नीलम से मिलकर षडयंत्र पूर्वक फर्जी तैयार की है। जिसकी जानकारी गैरसायल सं02 को होते ही गैरसायल सं02 द्वारा उक्त कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार करने के सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना श्रीमहावीरजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दी है। वादग्रस्त आराजी पहले गैरसायल सं01व 2 के स्व0 पिता के कब्जे, स्वामित्व में दर्ज थी, उनकी मृत्यु के बाद गैरसायल सं01 व 2 एवं उनके सहोदर भाई

रामबाबू, बहिन सुशीला, विद्या, लीला एवं माँ रामपति के कब्जे, हक अधिकार व स्वामित्व में रही, वर्तमान में गैरसायल सं01 व 2 के तन्हा स्वामित्व, खातेदारी, कब्जे, हक अधिकार में हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 में दर्ज तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं01 व 2 के पिता विशम्भरदयाल जी का देहावसान निांक 13.07.2005 को हो जाने के कारण उनके द्वारा दिनांक 04.02.2006 को वादग्रस्त आराजी सायल को विक्रय करने एवं दिनांक 04.02.2006 के बाद सायल द्वारा वादग्रस्त आराजी का बयनामा अपने हक में कराने की पिता से कहना और उनके द्वारा टालमटोल करना किसी भी सूरत में सम्भव नहीं है। वादग्रस्त आराजी गैरसायल सं01 व 2 के ही कब्जे, हक अधिकार में है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 में दर्ज तथ्य में से वादग्रस्त आराजी विरासत में गैरसायल सं01 व 2 को व अन्य परिवारजन को प्राप्त होना, अन्य परिवारजन द्वारा जरिये हकत्याग एवं विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजी गैरसायल सं01 व 2 को हस्तातंरित करना एवं उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त मद में दर्ज नामान्तकरण तस्दीक होना स्वीकार है, गैरसायल सं01 व 2 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में हुए अन्तरण प्रचलित किसी भी विधि के तहत विधि विरूद्ध नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज तथ्य काल्पनिक, झूंठे व असत्य हैं, जब वादग्रस्त आराजी के खरीद– बेचान की बही में लिखावट ही कूटरचित,फर्जी व बनावटी है तो उसकी परिणति में सायल के पक्ष में बयनामा कराने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में किसी भी प्रकार से साबित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज तथ्य काल्पनिक, झूंठे व असत्य हैं। दिनांक 26.10.2021 को गैरसायल सं01 व 2 द्वारा सायल को उक्त मद में दर्ज कोई धमकी किसी प्रकार से नहीं दी है, बल्कि गैरसायल सं02 द्वारा सायल के पुत्रगण एवं नीलम की ओर

से षड्यंत्रपूर्वक वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में अधिकारियों को शिकायतें, थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय में दावा, टी. आई. व उनवानी जगदीश बनाम मुकेश आदि पेश किए हैं, शेष तथ्य गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में साबित नहीं होकर गैरसायल सं01 व 2 के पक्ष में बखूबी साबित हैं।

उज्जात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 130,131,144 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 है0 ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी में स्थित है। उक्त आराजी भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 130,131 के पूर्व में सायल के पुत्र मुकेश व. राकेश, शिव आईटीआई कॉलेज दूसरा खसरा नम्बर 129/1,129/2 में संचालित करते हैं, जिनके द्वारा मई 2021 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान खसरा नम्बर 130 की भूमि के दक्षिणी तरफ वाले 15 फिट भाग पर अपनी कॉलेज बिल्डिंग के पीछे दो पिलर खडे कर अतिचार कर, पिलरों पर आरसीसी डलवाकर पोर्च बनाकर कॉलेज बिल्डिंग का कचरा डलवा दिया और बिल्डिंग में नवीन गेट निकाल दिया, और तत्पश्चात उक्त अतिक्रमिक भूमि में सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत गांवडी के साथ मिलकर अवैध रूप से नवीन सडक बनाने के लिए जेसीबी से नींव खुदवाना शुरू किया, जिसके सम्बन्ध में गैरसायलान को दिनांक 28.10.2021 को जानकारी होते ही गैरसायलान ने सायल के पुत्रगण व पंचायत प्रतिनिधियों से अवैध अतिक्रमण हटाने और खेत में सडक नहीं बनाने के लिए निवेदन किया, दिनांक 15.11.2021 को भी निवेदन किया, लेकिन नहीं माने तो गैरसायल सं02 द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस थाना श्रीमहावीरजी में सायल के पुत्रगण व पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी एवं न्यायालय में दावा उनवानी जगदीश वगैराह बनाम मुकेश आदि, दावा नम्बर 460/21 टी.आई. नम्बर 580/21 दिनांक 26.11.2021 को पेश किया, जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 20.07.2022 नियत है। सायल के पुत्रगण मुकेश, राकेश एवं सायल,

उदयसिंह मीना, देवेश, रामेश्याम, नीलम ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर गैरसायलान की तन्हा खातेदारी व कब्जे की उक्त आराजी को झूंठा झगडा पैदा कर विवादित करने के लिए अपनी बही में दिनांक 04.02.2006 की तारीख में उक्त वादग्रस्त आराजी को गैरसायल सं01 व 2 के पिता विशम्भरदयाल द्वारा सायल को विक्रय करने की लिखावट कूटरचित व फर्जी तैयार कर, उक्त कूटरचित व फर्जी लिखावट को आधार बनाकर, न्यायालय हाजा में हस्तगत वाद एवं टीआई पेश कर, एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 05.04.2022 को प्राप्त कर लिया है, जिसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति से गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी व कब्जे की भूमि में चांटी लगवाकर आपराधिक कृत्य किया, जिसके सम्बन्ध में भी गैरसायल सं02 द्वारा पुलिस थाना श्रीमहावीरजी पर रिपोर्ट दी गई है, दिनांक 04.07.2022 को सायल द्वारा पेश किए गए सम्मन गैरसायल सं01 व 2 को प्राप्त होते ही जब गैरसायल सं02 ने न्यायालय में फर्जी व कूटरचित विक्रयनामा बही का पन्ना दिनांक 04.02.2006 देखा और उस पर अपने पिता के फर्जी हस्ताक्षर देखे, तब गैरसायल को सायल व उसके हमराहीयों द्वारा की गई फर्जकारी की जानकारी हुई। गैरसायल सं01 व 2 के पिता विशम्भरदयाल पुत्र सुआलाल का दिनांक 13.07.2005 को श्रीमहावीरजी में स्वर्गवास हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 15 दिनांक 20.07.2005 को रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु पंजीयन) ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी कोर्ड नं0 080902099902485 द्वारा जारी कर गैरसायल सं02 को सुपुर्द किया जिसकी प्रति संलग्न है, इसलिए जब गैरसायल सं01 व 2 के पिता दिनांक 13.07.2005 को फौत हो गए तो उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि को दिनांक 04.02.2006 के दिन सायल को विक्रय करने, विक्रय की बही में लिखावट करवाने और उस पर अपने हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, सायल व उसके हमराहीयों द्वारा की गई उक्त फर्जकारी कूटरचना के सम्बन्ध में गैरसायल सं02 द्वारा पुलिस थाना श्रीमहावीरजी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है, इसलिए जब वाद/ टी.आई. का आधार ही कूटरचित व फर्जी है तो उसके आधार पर पेश किया गया वाद/टीआई विधिः पोषणीय नहीं है काबिले खारिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि तथाकथित कूटरचित, फर्जी विकयनामा बही की लिखावट दिनांक 04.02.2006 अनस्टाम्प्ड, अनरजिस्टर्ड होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इसलिए भी दावा/ प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि कूटरचित, फर्जी अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्प्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदार के विरूद्ध दावा / प्रार्थना पत्र हाजा विधितः पोषणीय नहीं होने के कारण भी काबिले खारिज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि वादग्रस्त आराजी गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी होने एवं सायल का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने के कारण भी दावा / प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा दावा/ प्रार्थना पत्र हाजा में वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सारगर्भिक तथ्यों को छिपाकर एवं कूटरचित फर्जी दस्तावेज को सही के तौर पर दर्शित कर हस्तगत वाद/ प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिए भी दावा / प्रार्थना पत्र सायल विधितः खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2058–61, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2066–69, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, फोटो प्रति बही की लिखावट पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान नं01 ने दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 15 जारी दिनांक 20.07.2005, फोटो प्रति एफ.आई.आर. नं0 200 दिनांक 10.07.2022 पेश किये है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का

प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल नं01 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2058–61 व 2066–69 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 0.06 है0, 229/1 रकबा 0.40 है0, 229/2 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है0 बाके ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी विशम्भर पुत्र सुआलाल जाति सुनार निवासी श्रीमहावीरजी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 130 रकबा 0.16 है0, 131 रकबा 0.23 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 है0 बाके ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी विशम्भर पुत्र सुआलाल जाति सुनार निवासी श्रीमहावीरजी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इन जमाबन्दी पर अंकित नोट अपठनीय है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.16 है0, 131 रकबा 0.23 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.39 है0 बाके ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी कन्हैया पुत्र विशम्भर हि01/2, जगदीश पुत्र विशम्भर हि01/2 जाति सुनार निवासी श्रीमहावीरजी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 144 रकबा 0.06 है0 बाके ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी कन्हैया पुत्र विशम्भर हि01/2, जगदीश पुत्र विशम्भर हि01/2 जाति सुनार निवासी श्रीमहावीरजी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति बही की लिखावट दिनांक 04.02.2006 के अनुसार विशम्भर पुत्र सुआलाल जाति सुनार महावीरजी वाले ने आगे लिख दीना रामखिलाडी पुत्र श्री दीपराम मीना निवासी गांवडी मीना वाले को मेरी निजी खेती की जमीन खसरा नम्बर 130 रकबा 16 एयर, 131 रकबा 23 एयर, 144 रकबा 6 एयर जो कि ग्राम बनवारीपुर महावीरजी में है, मुझको रूपयों की जरूरत वास्ते मैंने अपनी उक्त भूमि सम्पूर्ण को रामखिलाडी मीना को 361000/–रूपया शब्देन तीन लाख इकसठ

हजार रूपया में बेचान कर दिया है, जिसके पेटे 300000/-रूपया मैंने रामखिलाडी से लेकर जमीन पर उसका कब्जा करा दिया है तथा बकाया राशि 61000/- रूपया उक्त जमीन की रजिस्ट्री कराते समय ले लूंगा तथा रामखिलाडी जब भी कहेगा उसके हक में बेची जमीन की रजिस्ट्री उसके खर्चों पर करा दूंगा. उक्त जमीन से मेरा व मेरे वाली वारिसान का कोई वास्ता नहीं रहा है। अगर कोई उजर करे तो वह राजपंच में झूंठा होगा दिनांक 04.02.2006 उक्त बही की लिखावट पर विशम्भरदयाल के हस्ताक्षर हैं तथा बकलन राधेश्याम व गवाह उदयसिंह मीना, देवेश के हस्ताक्षर हैं।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 15 जारी दिनांक 20.07.2005 के अनुसार विशम्भरदयाल पुत्र सुआलाल स्वर्णकार निवासी श्रीमहावीरजी की मृत्यु दिनांक 13.07.2005 को ग्राम श्रीमहावीरजी में होना साबित है। उक्त रजिस्ट्रीकरण दिनांक 20.07.2005 को ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी में दर्ज कराया है।

फोटो प्रति एफ.आई.आर. नं0 200 दिनांक 10.07.2022 उक्त फर्जी एवं कूटरचित बही की लिखावट के सम्बन्ध में दर्ज कराना साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.16 है0, 131 रकबा 0.23 है0, 144 रकबा 0.06 है0 बाके ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी के गैरसायल सं01 व 2 कन्हैया पुत्र विशम्भर हि01/2, जगदीश पुत्र विशम्भर हि01/2 जाति सुनार निवासी श्रीमहावीरजी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 15 जारी दिनांक 20.07.2005 के अनुसार विशम्भरदयाल पुत्र सुआलाल स्वर्णकार निवासी श्रीमहावीरजी की मृत्यु दिनांक 13.07.2005 को ग्राम श्रीमहावीरजी में होना साबित है। जबकि बही की लिखावट दिनांक 04.02.2006 की है। इस प्रकार उक्त बही की लिखावट संदेहास्पद प्रतीत होती है। जिसके आधार पर सायल कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी साबित नहीं होता है। सायल के द्वारा जो बही की लिखावट पेश की गई है उसके आधार पर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत

नहीं होता है क्योंकि गैरसायल सं01 व 2 विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार सायल का पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में सावित नहीं होता है। बल्कि पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूरी पूरी सम्भावना है और यदि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द नहीं किया जाता है तो उससे सायल को कोई क्षति होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादितं आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.16 है0, 131 रकबा 0.23 है0, 144 रकबा 0.06 है0 बाके ग्राम बनवारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 05.04.2022 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली